UPGB010056012026

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय, द्वितीय) गौतमबुद्धनगर

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-2254/2026
आंचल शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

1.	नाम अभियुक्ता	आंचल शर्मा
2.	अपराध संख्या	201/2026
3.	पुलिस थाना	दादरी
4.	अन्तर्गत धारा-	305 बी०एन०एस०

1- आवेदिका/अभियुक्ता आंचल शर्मा द्वारा मु०अ०सं०-201/2026, अंतर्गत धारा-305 बी०एन०एस०, थाना दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-482 बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत किया गया है।

2- वादी मुकदमा पवन शर्मा द्वारा संबंधित थाना हाजा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करायी कि प्रार्थी की पत्नी आँचल शर्मा दिनांक-25.03.2026 को प्रार्थी की अनुपस्थिति में दोनो बच्चो काव्या व व्यान को लेकर चली गई थी प्रार्थी को जब पत्नी के जाने की जानकारी हुई तो प्रार्थी व उसके परिवार वालों ने काफी तलाश किया वह नहीं मिली। 26.03.26 को अचानक जब दोनो बच्चे प्रार्थी के घर पर अकेले आए तो प्रार्थी को बच्चो ने बताया कि 2 दिन पहले म्मी हमें ले कर एक स्कॉर्पियों गाडी संख्या HR 29 BD 3518 में बैठकर पलवल ले कर गई थी गाडी में एक बॉडी बिल्डर आदमी गाडी चला रहा था वह मम्मी से गलत बाते कर रहा था पलवल जाकर जब हमने अपने घर जाने की जिद की तो वही आदमी और मम्मी इस गाडी से हमें सड़क पर छोडकर चले गए। जब प्रार्थी को शक होने पर अपने घर की तलाश ली तो घर सभी नए-नए कपडे व रु0 500000 तथा एक सोने का बिस्किट (15 ग्राम) गायब थे। प्रार्थी को पूर्ण विश्वास है कि प्रार्थी की पत्नी ने स्कार्पियों गाडी वाले के साथ मिलकर मेरे घर का सामान चोरी किया है। तभी से प्रार्थी की पत्नी वापस नहीं आई। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है, कि प्रार्थी को उसके बच्चो की सुरक्षा प्रदान करके कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। जिसकी Insta id pandit- bhumi009/ Kavyakaushek 9898. अभियोग पंजीकृत हुआ।

3- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिनी उपरोक्त अभियोग में नामजद अभियुक्ता है तथा उसे गिरफ्तारी की प्रबल आशंका है। प्रार्थिनी पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे दुर्भावनापूर्ण, प्रतिशोधात्मक एवं दबाव बनाने के उद्देश्य से इस झूठे एवं मनगढ़ंत अभियोग में फँसाया गया है। प्रार्थिनी आंचल शर्मा विधिवत विवाहित महिला है तथा उसकी शादी दिनांक 09.02.2014 को वादी/शिकायतकर्ता पवन शर्मा के साथ सम्पन्न हुई थी। विवाह के पश्चात से ही प्रार्थिनी को उसके पति, सास, ससुर, देवर तथा अन्य ससुरालीजनों द्वारा निरन्तर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा। प्रार्थिनी को विवाह के बाद लगातार दहेज की मांग, मारपीट, गाली-गलौज, अपमान, जान से मारने की धमकियाँ तथा अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा। प्रार्थिनी ने पारिवारिक जीवन को बचाने के लिए अत्यधिक सहनशीलता दिखाई, किन्तु प्रताड़ना लगातार बढ़ती चली गई। प्रार्थिनी द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के समक्ष भी दिनांक 13.04.2026 को विस्तृत शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जिसमें पति एवं उसके परिवारजनों द्वारा की गई क्रूरता, हिंसा, धमकी, अपहरण एवं हत्या के प्रयास संबंधी घटनाओं का उल्लेख किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उक्त शिकायत को आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारियों को अग्रेषित किया गया, जिसके पश्चात मामले की जांच प्रारम्भ हुई। वादी पवन शर्मा को जब यह ज्ञात हुआ कि प्रार्थिनी उसके विरुद्ध

Digitally signed by SATYENDRA SINGH
Date: 2026.07.01 17:23:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विधिक कार्यवाही कर रही है तथा राष्ट्रीय महिला आयोग एवं अन्य मंचों पर शिकायतें दे रही है, तब उसने प्रतिशोध की भावना से वर्तमान एफ.आई.आर. दर्ज कराई। वर्तमान एफ.आई.आर. में कथित घटना दिनांक 25.03.2026 की दर्शाई गई है, जबकि एफ.आई.आर. दिनांक 07.05.2026 को दर्ज कराई गई है। लगभग एक माह बारह दिन की असामान्य एवं अव्याख्या-यित देरी अभियोजन कथा को अत्यंत संदिग्ध बनाती है। यदि वास्तव में वादी के घर से Rs. 5,00,000/- नकद राशि, 15 ग्राम का स्वर्ण बिस्कुट एवं अन्य सामान चोरी हुआ होता तो कोई भी सामान्य व्यक्ति तत्काल पुलिस को सूचना देता, किन्तु वादी द्वारा इतना लम्बा विलम्ब किया जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि एफ.आई.आर. (afterthought) बाद में विचार करके तै-यार की गई कहानी पर आधारित है। वादी द्वारा पहले प्रार्थिनी के संबंध में गुमशुदगी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। उसके उपरान्त प्रार्थिनी दिनांक 14.03.2026 को स्वयं थाना दादरी में उप-स्थित हुई थी तथा लिखित रूप से यह अवगत कराया था कि यदि उसके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व उसके पति पवन शर्मा का होगा। दिनांक 17.03.2026 को प्रार्थिनी द्वारा चौकी छपरौला, थाना बादलपुर में विस्तृत शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जि-समें पति एवं उसके भाई द्वारा की गई मारपीट, धमकी तथा उत्पीड़न का उल्लेख किया गया था। प्रार्थिनी का यह भी कहना है कि दिनांक 14.03.2026 & 17.03.2026 को उसके साथ जबरन वाहन में बैठाकर ले जाने तथा जान से मारने का प्रयास किया गया था, जिसकी जानकारी भी संबंधित अधिकारियों को दी गई थी। दिनांक 18.03.2026 को भी प्रार्थिनी के साथ गंभीर घटना घटित हुई, जिसमें उसे भोजन देने के पश्चात बेहोशी की अवस्था में सड़क पर छोड़ दिए जाने का आरोप लगाया गया है। इस घटना के संबंध में भी प्रार्थिनी ने शिकायतें एवं साक्ष्य सुरक्षित रखे हैं। दिनांक 18.03.2026 को वादी पवन शर्मा प्रार्थिनी के पैतृक निवास पर आया। उस समय प्रार्थिनी अपने माता-पिता एवं परिवारजनों के संरक्षण में रह रही थी क्योंकि उसे अपने पति एवं ससुरालीजनों से निरंतर जान-माल का खतरा था। वादी ने वहाँ पहुँचकर यह जानने का प्रयास किया कि क्या प्रार्थिनी ने उसके विरुद्ध कोई शिकायत अथवा कानूनी कार्यवाही की है। वादी ने अत्यंत पश्चातापपूर्ण व्यवहार का दिखावा करते हुए प्रार्थिनी एवं उसके भाई के समक्ष यह विश्वास दिलाया कि वह भविष्य में किसी भी प्रकार की मारपीट, प्रताड़ना, धमकी अथवा दुर्व्य-वहार नहीं करेगा तथा वह अपने पूर्व कृत्यों के लिए शर्मिंदा है। वादी के इस व्यवहार से ऐसा प्र-तीत हुआ मानो वह वास्तव में अपने आचरण को सुधारना चाहता है। उसी विश्वास में प्रार्थिनी ने उसकी बातों पर भरोसा किया। तत्पश्चात वादी अपने साथ भोजन लेकर आया और प्रार्थिनी ने वह भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के कुछ समय बाद ही प्रार्थिनी को असामान्य चक्कर, कम-जोरी एवं बेहोशी महसूस होने लगी और वह पूर्णतः अचेत हो गई। प्रार्थिनी को बाद में ज्ञात हुआ कि रात्रि लगभग 02:00 से 02:30 बजे के मध्य वादी उसे उसकी अचेत अवस्था में एक वाहन में बैठाकर अपने साथ ले गया तथा उसे ट्यागी पेट्रोल पम्प के निकट सड़क पर असहाय अव-स्था में छोड़ दिया। जब प्रार्थिनी को होश आया तो उसने स्वयं को सड़क किनारे पाया तथा उसके चारों ओर अनेक अपरिचित लोग एकत्रित थे। उक्त स्थिति में वह अत्यंत भयभीत एवं मानसिक रूप से विचलित हो गई। वहाँ उपस्थित व्यक्तियों द्वारा उसके परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद उसके परिवारजन घटनास्थल पर पहुँचे और उसे अपने साथ घर ले गए। घटना के कारण प्रार्थिनी को शारीरिक चोटें आईं, जिसके संबंध में उसने चिकित्सीय उपचार प्राप्त किया तथा चोटों के फोटोग्राफ भी सुरक्षित रखे, जो आवश्यक होने पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, उक्त घटना के पश्चात वादी ने प्रार्थिनी को यह धमकी भी दी कि यदि उसने उसके विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत, रिपोर्ट अथवा कानूनी कार्यवाही की, तो उसे अपने बच्चों से मिलने तक नहीं दिया जाएगा। उक्त घटनाक्रम न केवल वादी की दु-र्भावनापूर्ण मानसिकता को प्रदर्शित करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि प्रार्थिनी को लगातार भय, दबाव एवं धमकी के वातावरण में रखा गया, जिसके कारण उसे अपनी सुरक्षा हेतु विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए विवश होना पड़ा। इससे पूर्व भी प्रार्थिनी द्वारा अपने पति पवन शर्मा एवं उसके परिवारजनों द्वारा की जा रही लगातार मारपीट, मानसिक प्रताड़ना एवं दहेज उत्पीड़न के संबंध में विधिक कार्यवाही की गई थी, जिसके फलस्वरूप उन-के विरुद्ध एक आपराधिक प्रकरण पंजीकृत हुआ था।

4- उक्त प्रकरण लंबित रहने के दौरान वादी पवन शर्मा द्वारा पासपोर्ट हेतु आवेदन किया गया, किन्तु उसके विरुद्ध आपराधिक मामला लंबित होने के कारण उसके पासपोर्ट संबंधी कार्य में गंभीर बाधा उत्पन्न हुई तथा उसका आवेदन प्रभावित/अस्वीकृत हो गया। इसके पश्चात वादी पवन शर्मा ने स्वयं प्रार्थिनी तथा उसके परिजनों से संपर्क स्थापित किया और अपने पूर्व व्यव–हार के लिए बार-बार क्षमा याचना करते हुए यह विश्वास दिलाया कि भविष्य में वह किसी प्रकार की मारपीट, गाली-गलौज, मानसिक उत्पीड़न अथवा दहेज संबंधी मांग नहीं करेगा। उसने हाथ जोड़कर अपनी भूल स्वीकार की तथा प्रार्थिनी से वैवाहिक जीवन को एक और अवसर देने का अनुरोध किया। वादी द्वारा बार-बार किए गए अनुरोध, उसके द्वारा व्यक्त किए गए पश्चाताप तथा अपने बच्चों के भविष्य एवं परिवार को बचाने की भावना से प्रेरित होकर प्रार्थिनी ने सद्भावना एवं विश्वास के आधार पर उक्त प्रकरण को वापस लेने का निर्णय लिया। किन्तु अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उक्त प्रकरण वापस लिए जाने के मात्र दो दिनों के भीतर ही वादी का वास्तविक व्यवहार पुनः सामने आ गया और उसने पहले की भाँति प्रार्थिनी के साथ गाली-गलौज, अपमानजनक व्यवहार, मानसिक उत्पीड़न तथा शारीरिक मारपीट करना प्रारम्भ कर दिया। इतना ही नहीं, वह प्रार्थिनी को उसके नाबालिग बच्चों के समक्ष अपमानित एवं प्रताड़ित करता था, जिसके का–रण बच्चों के मानसिक, भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक विकास पर भी अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बच्चों के समक्ष होने वाली निरंतर हिंसा एवं विवादों ने उनके मन में भय, असुरक्षा एवं तनाव का वातावरण उत्पन्न कर दिया, जिससे वे भी गहरे मानसिक आघात का शिकार हुए। उक्त परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि वादी द्वारा पूर्व में व्यक्त किया गया पश्चाताप केवल एक दिखावा एवं छल मात्र था, जिसका उद्देश्य अपने विरुद्ध लंबित कार्यवाही से छुटकारा प्राप्त करना था। वर्तमान एफ. आई. आर. वस्तुतः प्रार्थिनी द्वारा पूर्व में की गई शिकायतों का प्रति–शोधात्मक उत्तर है तथा उसका उद्देश्य प्रार्थिनी पर दबाव बनाना, उसे डराना तथा उसके वै–धानिक अधिकारों से वंचित करना है।एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोप पूर्णतः विवादित तथ्य हैं, जिनका परीक्षण केवल विचारण के दौरान ही संभव है। वर्तमान स्तर पर अभियोजन के आरोपों को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। प्रार्थिनी एक महिला है तथा उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह पूर्व में कभी किसी आपराधिक मामले में दोष–सिद्ध नहीं हुई है। प्रार्थिनी का स्थायी निवास स्थान है। उसके फरार होने, न्यायालय की कार्य–वाही से बचने अथवा न्याय प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थिनी जांच में पूर्ण सहयोग करने को तैयार है तथा जब भी विवेचना अधिकारी द्वारा बुलाया जाएगा, वह उपस्थित होकर सहयोग प्रदान करेगी। प्रार्थिनी द्वारा किसी साक्ष्य से छेड़छाड़ करने अथवा किसी गवाह को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। अभियोजन का संपूर्ण मामला पति-पत्नी के मध्य उत्पन्न वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद की पृष्ठभूमि में उत्पन्न हुआ है, जिसे आपराधिक रंग देकर प्रार्थिनी को अनावश्यक रूप से उत्पीड़ित किया जा रहा है। अभियोजन की कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रार्थिनी विधिवत विवाहित पत्नी है तथा उसे वै–वाहिक गृह/साझा गृह (Shared Household) में निवास करने का वैधानिक एवं विधिक अधि–कार प्राप्त है। न्यायालयों द्वारा समय-समय पर यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी विधिक रूप से विवाहित पत्नी द्वारा अपने वैवाहिक घर में प्रवेश करना, वहाँ निवास करना अथवा वहाँ अपने अधिकारों का प्रयोग करना स्वयं में कोई आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता। मान–नीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने Divya v. State of NCT of Delhi, निर्णय दिनांक 11.04.2023 में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि विधिक रूप से विवाहित पत्नी को साझा वैवाहिक गृह में निवास करने का अधिकार प्राप्त है तथा केवल इस आधार पर कि उसने अपने वैवाहिक घर में प्रवेश किया अथवा अतिरिक्त/स्पेयर चाबी का उपयोग किया, उसके विरुद्ध आपराधिक अति–क्रमण (Criminal Trespass), गृहभेदन (House Breaking) अथवा तत्सम प्रकृति के आपरा–धिक आरोप नहीं लगाए जा सकते। उक्त विधिक सिद्धांत वर्तमान मामले में भी पूर्णतः लागू होता है। वर्तमान अभियोग की परिस्थितियों में भी प्रार्थिनी का कथित रूप से वैवाहिक घर से संबंधित होना, वहाँ रहना अथवा अपने वैवाहिक अधिकारों का प्रयोग करना किसी भी प्रकार से आपरा–धिक मंशा अथवा चोरी जैसे अपराध का स्वतः प्रमाण नहीं माना जा सकता। अतः अभियोजन द्वारा लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया संदेहास्पद, विवादित एवं गहन परीक्षण योग्य हैं, जिनका अंतिम निर्धारण केवल विचारण के दौरान ही संभव है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-

समय पर प्रतिपादित सिद्धांत "Bail is the Rule and Jail is the Exception" वर्तमान मामले पर पूर्णतः लागू होता है। प्रार्थिनी गिरफ्तारी से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी स्वतंत्रता एवं सम्मान की रक्षा हेतु न्यायालय की शरण में आई है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित प्रत्येक शर्त का पालन करने के लिए तैयार है। अतः अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

5- अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का घोर विरोध करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थऩा पत्र निरस्त करने की याचना की गयी।

6- मैंने आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7- अभियुक्ता द्वारा यह आधार लिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट बदले की भावना से दर्ज करायी गयी है, जबकि पीड़िता द्वारा पूर्व में एक मुकदमा विपक्षीगण के विरूद्ध दर्ज कराया गया है। वादिनी द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष 13.04.2026 को शिकायत की गयी थी जिसमें उसके पति व परिवारजनों द्वारा क्रूरता व हिंसा आदि घटना का उल्लेख किया गया है। घटना दिनांक-25.03.2026 की दर्शायी गयी है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यन्त विलंब से 07.05.2026 को दर्ज करायी गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्ता पर घर में घुसकर चोरी किये जाने का अभियोग पंजीकृत कराया गया है और यह सम्भावना व्यक्त की गयी है कि सामान उसकी पत्नी/अभियुक्ता द्वारा चोरी किया गया है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी द्वारा अपने बच्चों के बताये जाने के आधार पर दर्ज करायी गयी जिसमें उसके बच्चों द्वारा बताया गया कि एक आदमी स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठकर मम्मी के साथ गया था और उससे बातें कर रहा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्ता के पति द्वारा दर्ज करायी गयी है। पक्षकारों के मध्य पारिवारिक विवाद परिलक्षित होता है। अभियोग अधिकतम 07 वर्ष से कम कारावास से दण्डनीय है। उप–रोक्त विशेष तथ्यों व पक्षकारों के मध्य पारिवारिक सम्बन्धों के दृष्टिगत रखते हुए अग्रिम जमा–नत का आधार पर्याप्त है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

8- आवेदिका/अभियुक्ता आंचल शर्मा का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-2254/2026, मु०अ०सं०-201/2026, अंतर्गत धारा-305 बी०एन०एस०, थाना दादरी, स्वीकार किया जाता है। अभियुक्ता द्वारा पचास हजार रूपये का एक प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाए-

1. अभियुक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह विवेचना में सहयोग करेगी और विवेचना में सहयोग न किये जाने की आख्या प्रेषित किये जाने के उपरांत जमानत निरस्त की जा सकेगी।
2. आवेदिका/अभियुक्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगी तथा साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगी।
3. आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व द०प्र०सं० की धारा-313 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगी तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व द०प्र०सं० की धारा-313 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगी।
4. आवेदिका/अभियुक्ता विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेंगे।
5. अभियुक्ता बिना न्यायालय की अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगी।

दिनांक-01.07.2026

(सत्येन्द्र सिंह)
(J.O.Code UP 1780)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, द्वितीय
जनपद गौतमबुद्धनगर